(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं० 78/2015–2020

नई दिल्ली, दिनांकः– 11 मार्च, 2019

विषयः **ईपीसीजी स्कीम के तहत एककालिक छूट को 30.09.2019 तक बढ़ाने के संबंध में।**

विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा निम्नलिखित सार्वजनिक सूचनाएं जारी की गई हैं:

(क) **सार्वजनिक सूचना सं० 35/2015–20 दिनांक 25.10.2017** – ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व अवधि में ब्लाक–वार विस्तार प्राप्त करने संबंधी समयावधि में एककालिक छूट।

(ख) **सार्वजनिक सूचना सं० 36/2015–20 दिनांक 25.10.2017** – ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार प्राप्त करने के संबंध में समयावधि की एककालिक छूट।

(ग) **सार्वजनिक सूचना सं० 37/2015–20 दिनांक 25.10.2017** – ईपीसीजी स्कीम के तहत संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में हुए विंलब में एककालिक छूट।

उपर्युक्त सार्वजनिक सूचनाओं की वैधता को दिनांक 26.04.2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 01/2015–20 द्वारा दिनांक 30.09.2018 तक बढ़ाया गया था।

2. इसके बाद, दिनांक 25.10.2017 की सार्वजनिक सूचना सं. 37/2015–20 को निम्नलिखित सार्वजनिक सूचना द्वारा संशोधित किया गया:–

दिनांक 14.08.2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 30/2015–20 किसी भी जुर्माने के भुगतान के बिना दिनांक 31.03.2015 तक जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के लिए संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलंब में एककालिक माफी एवं छूट हेतु दिनांक 31 मार्च, 2019 तक क्षेत्रीय प्राधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

3. विदेश व्यापार नीति (2015–20) के पैरा 2.58 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति (2015–20) के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतदद्वारा जनहित में उपर्युक्त सार्वजनिक सूचनाओं के संबंध में आवेदनों को प्राप्त करने की अवधि को आगे 30.09.2019 तक बढाते हैं।

4. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचनाओं की अन्य विषय वस्तु यथावत रहेगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः– आवेदनों को प्राप्त करने की समयावधि को उपर्युक्तानुसार बढ़ाया जा रहा है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 18/42/एएम18/पी–5 से जारी)